न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु.नं. - 15/2021
3.1.24	[illegible] 19-3-24 को [illegible]
28.5.24	दिनांक 19-3-24 को [illegible] होने पर पत्रावली अग्रिम पेश हुई। [illegible] उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 ता 5 के अग्रिम तलबीना बाबत तलबी अधिवक्ता तक पेश नहीं किए गए हैं। वकील वादिया को मुकदमे 16 अवसर दिए जा चुके हैं। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। प्रतिवादीगण के अग्रिम तलबीना बाबत तलबी पेश होने पर वाद की बहस की जाकर पत्रावली दिनांक 06-06-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

06.06.2024 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर अधिवक्तागण व पक्षकारान को बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से [illegible] अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय [illegible] अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया [illegible] है। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.11 10:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)